

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-2062/चि-3-15-आर0जी0-11/2014  
लखनऊ: दिनांक: 14 अक्टूबर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 कुसुम लता (वरिष्ठता क्रमांक-8969, लेवल-3), परामर्शदाता, कस्तूरबा महिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिये जाने विषयक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3फ/174-म-92/2074, दिनांक 18.08.2015 एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, कस्तूरबा महिला चिकित्सालय बुलन्दशहर के पत्र संख्या-के0एम0सी0/पी-डा0 कुसुम लता/2015-16/112, दिनांक 05.08.2015 द्वारा प्राप्त आख्या/संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्रीराज्यपाल डा0 कुसुम लता परामर्शदाता, कस्तूरबा महिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 56 में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत कार्यभार से मुक्त होने की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

अरविन्द नारायण मिश्र  
सचिव।

संख्या-2062 (1)/चि-3-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर निदेशक, (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, कस्तूरबा महिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बुलन्दशहर।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, कस्तूरबा महिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर)।
8. चिकित्सा अनुभाग-2/8।
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,



(अवधेश कुमार खरे)

अनु सचिव।